न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 303/2022

आरसीएमएस नं. 2022/303

महावीर प्रसाद पुत्र बनवारी लाल, जाति ब्राहम्ण निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. पुष्पा बारूपाल पत्नी शिव कुमार बारूपाल जाति मेधवा निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
दिनांक 05.08.2022 प्रकरण संख्या 10/2022
अनवान महावीर प्रसाद बनाम पुष्पा बारूपाल

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

श्री सुरेन्द्र सहारण अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिंह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1
श्री रविंद्र कुमार भोबिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक 01.03.23

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में अपीलांट ने अपनी भूमि में आवगामन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने का कथन करते हुए चक 4 एम.जे.डी प. नं. 167/186 मु. नं. 30 किला नं. 5–6–15 में उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ साथ 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने, राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं मौका पर रास्ता चालू करवाने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थी ने रास्ते की मांग को अनुचित बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार संगरिया द्वारा भू–अभिलेख की रिपोर्ट दिनांक 17.05.2022 को आधार मानकर इसी मुरब्बा के किला नं. 10 व 1 से होकर डामर सड़क पर आवाजाही हो सकने व निकटतम रास्ता होने व रेस्पो0 सं0 1 के मुरब्बे के किला नं. 5, 6, 15 में से होकर सड़क पर पहुंचना अधिक दूरी का रास्ता होने व किला नं. 15 में विद्युत ट्रांसफार्मर, खम्बे व तार तथा ट्यूबवैल स्थापित होने का अवलम्ब लेते हुए अपीलाण्ट के रास्ता स्वीकृति की मांग को अस्वीकार कर प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जबकि पत्थर नं. 167/186 (30) के किला नं. 5, 6, 15 में से उत्तर से दक्षिण दिशा में पत्थर लाईन के चिपते हुए 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत होना ही अपीलाण्ट की भूमि में आवागमन के लिए उचित है। लेकिन विचारण न्यायालय ने अहम भूल की है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 से पूर्व उक्त भूमि भागीरथ पुत्र सुलतान के नाम से थी जिन्होंने सहमति से उक्त पत्थर नं.

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

167/186 (30) के किला नं. 5, 6, 15 में से 1–1 बिस्वा भूमि रास्ता के लिए अपीलाण्ट के पिता बनवारी लाल को दी हुई है इसके सम्बन्ध में एक शपथ–पत्र दिनांक 27.07.1987 को निष्पादित किया हुआ है और अपीलाण्ट उक्त भूमि में से होकर आवागमन करता था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस और को गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा किला नं. 5, 6, 15 में चल रहे रास्ता को स्वीकार करने के प्रार्थना–पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त रास्ता में कभी भी आना जाना नहीं रहा है जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट व तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाट रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डीएलसी दर की दोगुना राशि देने को लिए तैयार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु पहले से ही रास्ता मौजूद है। चाहे गये रास्ते में किला नं. 15 में विद्युत ट्रांसफार्मर, खम्भे, व तार तथा ट्यूबवेल भी लगे हुए है, जो चाहे गये रास्ते के बीच में अवरोध पैदा करेंगे। अपीलाण्ट मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय में अपीलांट ने अपनी भूमि में आवागन हेतु चक 4 एम.जे. डी प. नं. 167/186 म. नं. 30 किला नं. 5–6–15 में उत्तर से दक्षिण पत्थर लाईन के साथ साथ 1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 04.08.2022 को स्वयं मौका देखा गया था तथा भू अभिलेख निरीक्षक की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट दिनांक 17.05.2022 भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इस रिपोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षक करने के उपरान्त यह पाया गया है कि मौके पर स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय बन्द पड़ा पाया गया है। स्कूल राजस्व रिकार्ड अनुसार जमाबन्दी मे दर्ज नहीं है। स्कूल जिस 11 नम्बर किले में स्थित है वह रिकार्ड अनुसार स्वयं प्रार्थी का है। स्कूल व मुरब्बा लाईन (किला नं. 11 के पश्चिमी दिशा) के मध्य 30 फीट की दूरी है जिसे प्रार्थी रास्ते के रूप में काम में लेकर इसी मुरब्बा के किला नं. 10 व 1 से होकर डामर सड़क पर आवाजाही कर सकता है जो निकटतम रास्ता होगा। अप्रार्थी के मुरब्बे के किला नम्बर 15, 6 व 5 में से होकर सड़क पर पहुंचना अधिक दूरी का रास्ता होगा। अप्रार्थी के किला नं. 15 में विद्युत ट्रांसफार्मर, खम्बे व तार तथा ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं जो चाहे गये रास्ते के बीच में अवरोध के रूप में आयेंगें। इस प्रकार अपीलाण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.08.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.3.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/03/23

(करतारसिंह भूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner